सं. 10/2/2013- समन्वय Vol. III
No. 10/2/2013-Coord.
भारत सरकार
Government of India
जल संसाधन , नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

नई दिल्ली, दिनांक: सितम्बर 2014
New Delhi, Dated: September, 2014
23 SEP 2014

विषय : लचीली पूरक योजना के अंतगर्त स्वस्थाने पदोन्नति हेतु अवकाश की अवधि को न्यूनतक आवासीय अवधि के रूप में माना जाना ।

Subject:

निम्नलिखित कागजातों की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न किया जा रहा है :

A copy of following papers is enclosed herewith for information and guidance:

संख्या एवं तारीख No. & date	किससे प्राप्त हुई From whom received
का0 ज्ञा0 स0 :एबी-14017/32/2013-स्था0(आरआर) दिनॉक : ३० जुलाई 2014 No: Dated :	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

(संजीत कुमार भगत)
(Sanjeet Kumar Bhagat)
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)
Section Officer (Coord.)

सेवा में ,
To

1. Heads of all organizations under the Ministry.
2. US(A)/US(E-I)US(E-II)/US(E-III)/US(E-IV)/ US(PSU)/DC(BM)/US(GWE)
3. Guard file.

सं. एबी-14017/32/2013-स्था. (आरआर)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

***

नई दिल्ली, दिनांक : 30 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : लचीली पूरक योजना के अंतर्गत स्वस्थाने पदोन्नति हेतु अवकाश की अवधि को न्यूनतम आवासीय अवधि के रूप में माना जाना।

***

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 15.11.2000 के का.ज्ञा.सं. 2/41/97-पीआईसी तथा दिनांक 13.08.2003 के का.ज्ञा.सं. एबी-14017/32/2013-स्था. (आरआर) के तहत अनुदेश जारी किए थे कि किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति/संवर्गेतर पद पर बिताई गई सेवा की अवधि तथा शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिए लिया गया कोई अध्ययन अवकाश/अन्य कोई अवकाश जैसे, मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश के क्रम में स्वीकृत किया गया अवकाश तथा अर्जित अवकाश आदि के दौरान की अवधि को एफसीएस के तहत पदोन्नतियों हेतु न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना करते हुए शामिल किया जाएगा।

2. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अवयस्क बच्चों वाली सभी महिला कर्मचारियों को दो बच्चों तक की देखभाल के लिए बालचर्या अवकाश (सीसीएल) के रूप में दो वर्षों तक का कुल अवकाश स्वीकृत किया गया है। लचीली पूरक योजना के अंतर्गत स्वस्थाने पदोन्नति हेतु सीसीएल की अवधि को न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के रूप में माने जाने के संबंध में कुछ वैज्ञानिक विभागों से संदर्भ प्राप्त हुआ है।

3. लचीली पूरक योजना के तहत पदोन्नति का मानदंड प्रमाणित योग्यता एवं शोध संबंधी रिकार्ड हैं तथा एफसीएस के तहत पदोन्नति संबंधी आकलन के मानदंड सख्त होने चाहिए। केवल वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीय विभागों में वैज्ञानिकी/तकनीकी पद पर कार्यरत और वैज्ञानिक कार्यकलाप/सेवा में लगे वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को ही उनके कार्यनिष्पादन की कड़ी जांच करने के पश्चात् एफसीएस के तहत स्व-स्थाने पदोन्नति दी जाती है। वैयक्तिक आधार पर लिए गए अवकाश आदि के दौरान उनकी अनुपस्थिति की अवधि में वैज्ञानिक कोई वैज्ञानिक कार्यकलाप/शोध कार्य नहीं करते हैं और न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के रूप में ऐसी अवधि को इस प्रकार जोड़ा जाना एफसीएस के सिद्धांतों एवं भावनाओं के विरुद्ध होगा।

10-3

53

4. तदनुसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के परामर्श से यह निर्णय लिया गया कि लचीली पूरक योजना के तहत पदोन्नति हेतु निचले ग्रेड के वैज्ञानिकों के लिए अपेक्षित न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि के रूप में किसी पात्र वैज्ञानिक द्वारा लिया गया निम्न प्रकार का अवकाश जोड़ा जाएगा।

(i) किसी अन्य वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा कार्य की गई अवधि, जिससे वैज्ञानिक को भिन्न वातावरण में वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिलती हो।

(ii) अध्ययन अवकाश/वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए गए शैक्षणिक उपलब्धियों को पूरा करने हेतु लिया गया कोई अन्य अवकाश।

(iii) एफसीएस के तहत पदोन्नति हेतु न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना करते समय अवकाश नियमों के अनुसार स्वीकृत मातृत्व अवकाश को भी ड्यूटी की अवधि माना जाए।

(iv) मातृत्व अवकाश के साथ अवकाश नियमों के अनुसार स्वीकृत किया गया अधिकतम एक वर्ष की अवधि का अवकाश भी मातृत्व अवकाश के समान ही माना जाए और परिणामस्वरूप न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना करते समय इसको भी शामिल किया जाए।

(v) अवकाश नियमों के तहत स्वीकृत अधिकतम 180 दिनों की कुल अवधि का अर्जित/बालचर्या अवकाश को भी न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि की गणना में शामिल किया जाए।

(vi) किसी गैर-वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति/संवर्ग बाह्य गैर-वैज्ञानिक सेवा कार्य की अवधि और चिकित्सा आधार पर लिए गए अवकाश सहित अवकाश एवं ईओएल आदि की अवधि को न्यूनतम रेजीडेंसी अवधि में शामिल नहीं किया जाएगा।

5. ये अनुदेश इस आदेश के जारी होने की तारीख से लागू होंगे। लंबित मामलों पर भी इन अनुदेशों के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे लेकिन निर्णय लिए जा चुके पहले के मामलों को पुन: नहीं खोला जाएगा।

मुक्ता

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (स्था.-I)

सेवा में

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(ii) बायोटेक्नॉलोजी मंत्रालय

(iii) संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(iv) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(v) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

(vi) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(vii) गृह मंत्रालय

(viii) जल संसाधन मंत्रालय

(ix) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(x) उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(xi) भारत सरकार के अन्य सभी मंत्रालय/विभाग

प्रतिलिपि प्रेषित :

1) राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
2) उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3) प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
4) मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5) राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
6) लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
7) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
8) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
9) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालय
10) स्थापना अधिकारी एवं सचिव, एसीसी (10 प्रतियां)
11) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
12) स्थापना (आरआर डिवीजन) (50 प्रतियां)
13) एनआईसी, नॉर्थ ब्लॉक को इस का.ज्ञा. को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

(मुक्ता गोयल)
निदेशक (स्था.-I)